

## स्थलीय संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-गोण्डा, गोण्डा-उतरौला मार्ग संरक्षित मार्ग (एम0डी0आर-18ई) के कि0मी0 18-19 के मध्य दायीं पटरी पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना पर पेट्रोल पम्प के सामने पड़ने वाली संरक्षित वन भूमि क्षेत्र 0.059826 हे0 आवागमन मार्ग के लिए भूमि की आवश्यकता है, इसका संयुक्त निरीक्षण दिनांक.....को किया गया है। इस स्थल पर कोई वृक्ष नहीं है। वृक्ष के अतिरिक्त प्रभावित संरक्षित क्षेत्र में दुर्लभ/संकटापन विशिष्ट वनस्पति की प्रजातियां तथा प्राणी जगत की प्रजातियां नहीं पायी जाती हैं। सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान या महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नहीं है। प्रस्तावित संरक्षित भूमि 0.059826 हे0 की मांग न्यूनतम है।

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
पटरी पुलिस रेन्ज  
गोण्डा जंगल, गोण्डा

India Petroleum Corporation Ltd.



  
उप प्रभागीय वनाधिकारी

  
क्षेत्रीय वनाधिकारी  
गोण्डा वन प्रभाग  
गोण्डा

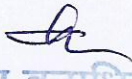


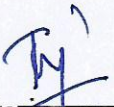
## एन0पी0बी0 मूल्य का आकलन

(जनपद गोण्डा के गोण्डा-उतरौला मार्ग (एम0डी0आर0-18ई) कि0मी0 18-19 के मध्य दायी पटरी पर क्षेत्र-0.059826 हे0 संरक्षित वन भूमि)

| प्रभावित वन भूमि (हे0 में) | शासनादेश संख्या<br>426 / 14-2-2008 दिनांक<br>22.08.2008 के अनुसार दर                                  | भूमि का मूल्य                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0.059826 हे0               | शासनादेश के अनुसार खुले वन के लिए ईको क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 8.03 लाख प्रति हे0 के दर से आकलित | 0.059826 हे0 X 803000<br>= 48040/-<br>रु0 अड़तालिस हजार चालिस रुपये मात्र। |

नोट:- उपरोक्त दरे इस कार्यालय में उपलब्ध उक्त शासनादेश के अनुसार आकलित है।

  
**क्षेत्रीय वनाधिकारी**  
पड़री कृपाल रेन्ज  
गोण्डा वनप्रभाग, गोण्डा

  
(डा0टी0रंगारजू)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।  
**वसुधा वनाधिकारी**  
गोण्डा वन प्रभाग  
गोण्डा

  
**उप प्रभागीय वनाधिकारी**  
गोण्डा



**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India, letter no. 11-09/98/FC(pt.) dated 28<sup>th</sup> October 2014, it is certified that 0.059826 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Bharat Petroleum Corporation Ltd. Gonda for approach road of New Retail Outlet, at Gonda-Utraula road, purpose of diversion of forest land in Gonda district falls within jurisdiction of range Gonda, Gonda Forest Division Gonda

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is notified as "Conserved Forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005.

Recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 & 2011, residing in Village-Belahari, Tahsil-Gonda, District-Gonda is ZERO. The proposed diverted land GATA NO-269 Area-1.836 Hectare does not have any recognized rights of PTG/PAC.

(Ashutosh Niranjana)  
District Magistrate  
Gonda

**Office of District Magistrate Gonda**

Letter no. 476 /SK/Vanadhikar/2017-18 dated: May. 22 2017

Copy to:

1- Shri Abhinav Shahu, Sales Officer, Bharat Petroleum Corporation Limited.

*Ashutosh Niranjana*  
District Magistrate  
Gonda  
जिलाधिकारी  
गोंडा



## कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा गोण्डा-उतरौला मार्ग संरक्षित मार्ग (एम०डी०आर-18ई) के कि०मी० 18-19 के मध्य दायीं पटरी पर स्थित खसरा नम्बर-269 ग्राम-बेलहरी, तहसील-गोण्डा, जिला गोण्डा में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक संरक्षित मार्ग पटरी पर प्रवेश व निकास मार्ग का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रशासक  
पटरी प्रशासन  
गोण्डा

(विक्रम सिंह ठाकुर)  
टेरीटोरी मैनेजर (रिटेल)  
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,  
गोरखपुर।

उप प्रभागीय प्रशासक  
गोण्डा

प्रभागीय प्रशासक  
गोण्डा वन प्रभाग  
गोण्डा

Bharat Petroleum Corporation Ltd  
Constituted Attorney